(6)

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AL 913256

12/324

03 JUL 2013

विक्रय विलेख

प्रतिफल की धनराशि — रू0 5,00,000/—

बाजारू मूल्य — रू0 1,32,750/—

अदा किये गये जनरल स्टैम्प — रू0 25,000 /—

1. भूमि का प्रकार — कृषि
2. परगना — मोहनलालगंज
3. ग्राम — बेली

राजेन्द्र सिंह

8715 18/7/13

[illegible] का प्रयोजन

[illegible] नाम व पूरा

[illegible] विक्रेता

[illegible] 262

[illegible] 30 [illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AL 913255

4. सम्पत्ति का विवरण– भूमि खसरा संख्या 229 रकबा 0.177 हेक्टेअर का 1/2 भाग यानी विक्रीत रकबा 0.0885 हेक्टेयर स्थित ग्राम–बेली, परगना व तहसील मोहनलालगंज जिला लखनऊ।

5. मापन की ईकाई – हेक्टेअर

6. सम्पत्ति का क्षेत्रफल – 0.0885 हेक्टेअर

7. सड़क की स्थिति – मोहनलालगंज से गोसांईगंज रोड से लगभग 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित।

8. सम्पत्ति का प्रकार – कृषि

9. पेड़ों की स्थिति – नहीं

8716 18/2/23

विके

252

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AL 410909

13 JUN 2013

10. बोरिंग / कुआं अन्य — कुछ भी नहीं है।

प्रथम पक्ष की संख्या– 1 : द्वितीय पक्ष की संख्या– 1

विकेता का विवरण	:	क्रेता का विवरण
राजेन्द्र पुत्र बाबादीन निवासी –बेलीकला ग्राम– बेली परगना व तहसील मोहनलालगंज जिला लखनऊ।	:	पर्ल इन्फ्राइस्टेट प्रा0 लि0 रजि0 आफिस–37, एलगिन रोड, सिविल लाईन्स, इलाहाबाद द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी संजय सिंह पुत्र स्व0 इन्द्रदेव सिंह निवासी– प्रथम तल, साइबर टॉवर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
व्यवसाय– कृषि		व्यवसाय– व्यापार

[क्र]म संख्या ......7343......

[स्]टाम्प विक्रय की तिथि 18-7-13

[स्]टाम्प क्रय करने का प्रयोजन ...... [illegible]

[स्]टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता ...... [illegible]

......

[स्]टाम्प की कुल राशि ......

आकाश कुमार [स्टाम्प] विक्रेता

लाइसेन्स नं0 180

लाइसेन्स की [वैधता] ... 3 2016

कलेक्ट्रेट [कोर्ट] लखनऊ

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हज़ार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

TRY. LKO
AD 354179
24 DEC 2012
TRY. LKO

यह विकय विलेख राजेन्द्र पुत्र बाबादीन निवासी –बेलीकला ग्राम बेली परगना व तहसील मोहनलालगंज जिला लखनऊ जिन्हें आगे विकेता कहा गया है एवम् पर्ल इन्फ्राइस्टेट प्रा0 लि0 रजि0 आफिस–37, एलगिन रोड, सिविल लाईन्स, इलाहाबाद द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी संजय सिंह पुत्र स्व0 इन्द्रदेव सिंह निवासी–प्रथम तल, साइबर टॉवर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊजिन्हें आगे केता कहा गया है के मध्य निष्पादित किया गया। विकेता एवं केता शब्द के

राजेन्द्र सिंह

6811

[illegible] की तिथि..........

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन..........

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता..........

स्टाम्प की धनराशि..........

विजय कुमार शुक्ला, स्टाम्प विक्रेता

लो० नं० 141, निबन्धन भवन

[illegible] की अवधि 31-3-[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AL 410910

अन्तर्गत उनके विधिक उत्तराधिकारी, वारिसान व निष्पादकगण सम्मिलित है।

यह कि भूमि खसरा संख्या 229 रकबा 0.177 हेक्टेअर का 1/2 भाग यानी विक्रीत रकबा 0.0885 हेक्टेयर स्थित ग्राम–बेली, परगना व तहसील मोहनलालगंज जिला लखनऊ का मालिक, कामिल व काबिज है तथा सत्यापित षटवार्षिक खाता खतौनी क्रम संख्या 00198 के अनुसार भूमि विक्रेता के नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है।

विक्रेता को पैसों की सख्त आवश्यकता है इसलिए विक्रेता अपना सम्पूर्ण हिस्सा क्रेता को इस विक्रय विलेख द्वारा विक्रय कर रहा है।

राजेन्द्र सिंह

क्रम संख्या 7341 18-7-13

स्टाम्प विक्रय की तिथि

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता

स्टाम्प की क्रम राशि

आकाश कुमार शर्मा स्टाम्प विक्रेता

लाइसेन्स नं० 180

लाइसेन्स की अवधि 31 3 2014

कलक्ट्रेट लखनऊ

विकेता उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि के मालिक, कामिल व काबिज है और उक्त भूमि सरप्लस भूमि का हिस्सा नहीं है। उक्त भूमि सीलिंग, भूदान की भूमि नहीं है। यह कि विक्रेता यह घोषित करता ह कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा विक्रेता ने उसे इस विकय के पूर्व कहीं बय, हिबा, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि नहीं किया है। विक्रेता ने उक्त भूमि पर कृषि ऋण या अन्य प्रकार का कोई ऋण नहीं लिया है। यदि कोई ऐसा ऋण भविष्य में निकलता है तो उसके जिम्मेदार विक्रेता व उसके वारिसान व विधिक उत्तराधिकारी होगें। उपरोक्त भूमि या उसका को भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अन्तर्गत विवाद का वस्तु विषय नहीं है, न ही कुर्क इत्यादि है। विक्रेता के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक या दावा इत्यादि नहीं है, एवं विक्रेता को उक्त विकय अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त सम्पत्ति के फलस्वरूप कुल विकय मूल्य रू0 5,00,000/– (रूपया पांच लाख मात्र) के प्रतिफल में जिसका उपरोक्त केता द्वारा विक्रेता की इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया हे एवं जिसकी प्राप्ति को विक्रेता यहॉ स्वीकार करते हैं, तदानुसार उक्त विक्रेता उक्त केता के हाथ उपरोक्त वर्णित भूमि, जिसका विवरण इस विकय विलेख के अन्त में अनुसूची के अन्तर्गत दिया गया है, को कतई बेच दिया है, एवं विक्रेता ने विकयशुदा भूमि का मौके पर कब्जा केता को बखूबी करा दिया गया है। अब उक्त आराजी पर विक्रेता तथा उसके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है। विक्रेता ने विकयशुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए केता को हस्तान्तरित कर दिया है।

राजेन्द्र सिंह

अब क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने एकमात्र स्वामित्व व अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के रूप में धारण एवं उपयोग व उपभोग करेंगे। विक्रेता व उसके वारिसान उसमें किसी प्रकार की अड़चन बाधा नहीं डाल सकेंगे एवं न ही कोई मांग कर सकेंगे और यदि विक्रयशुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग विक्रेता के स्वामित्व में त्रुटि के कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण क्रेता या उसके वारिसान निष्पादकगण इत्यादि के कब्जे या अधिकार या स्वत्व से निकल जाये तो क्रेता उसके वारिसान, निष्पादकगण इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय हर्जा व खर्चा, विक्रेता की चल, अचल सम्पत्ति से जरियें अदालत वसूल कर लें। उस स्थिति में विक्रेंता एवं उसके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होगा।

यह कि विक्रेताा यह भी घोषित करता है कि उक्त भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ तथा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ तथा अन्य किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था द्वारा अधिग्रहीत नहीं की गयी है और न ही प्रस्तावित है।

यह कि क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति की दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा लें तो विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी और यह कि इस विक्रय विलेख के पूर्व का अगर कोई बकाया किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसको विक्रेता भुगतान व वहन करेंगे, विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी।

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम बेली विशिष्ठ ग्राम अर्न्तगत आता है इसलिए निर्धारित सरकिल रेट रू0 **15,00,000/–** प्रति हेक्टेअर के हिसाब से विक्रीत भूमि 0.0885 हे0 की मालियत रू0

राजेन्द्र सिंह

विक्रय पत्र

500,000.00 /	**132,750.00**	10,000.00	20	10,020.00	1,000
प्रतिफल	मालियत	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग

श्री राजेन्द्र
पुत्र श्री बाबादीन
व्यवसाय नौकरी
निवासी स्थायी बेलीकला ग्राम बेली पर0तह0मोहन लाल गंज लखनऊ
अस्थायी पता

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 7/8/2013 समय 4:28PM
वजे निबन्धन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अर्पिता शर्मा पाण्डेय
उ.नि.मोहनलालगंज
लखनऊ
7/8/2013

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रू. प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता

श्री राजेन्द्र
पुत्र श्री बाबादीन
पेशा नौकरी
निवासी बेलीकला ग्राम बेली पर0तह0मोहन लाल गंज लखनऊ

क्रेता

पर्ल इन्फ्राइस्टेट प्रा0लि0द्वारा अधि.हस्ता.संजय सिंह
पुत्र श्री स्व0 इन्द्रदेव सिंह
पेशा व्यापार
निवासी प्रथमतल साइबर टॉवर विभूति खण्ड गोमती नगर लखनऊ

ने निष्पादन स्वीकार किया ।
जिनकी पहचान श्री कमलेश सिंह
पुत्र श्री उमा शंकर सिंह
पेशा व्यापार
निवासी चॉद सराय गोसाईगंज लखनऊ
व श्री भूपेन्द्र कुमार
पुत्र श्री सुशील शर्मा
पेशा कृषि
निवासी बेली तह0मोहन लाल गंज लखनऊ
ने की ।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अर्पिता शर्मा पाण्डेय
उ.नि.मोहनलालगंज
लखनऊ

1,32,750/– होती है। चूंकि विक्रय मूल्य, भूमि की बाजारू मूल्य से अधिक है इसलिए नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही रू0 25,000 /–के जनरल स्टाम्प अदा किया जा रहा है। भूमि में कोई इमारत आदि नहीं है तथा किसी प्रकार की आवासीय गतिविधियां नहीं चल रही है व कोई नलकूप, कुआं भी नहीं है, तथा 200 मी0 के अर्धव्यास में कोई निर्माण नहीं हे विक्रीत भूमि किसी लिंक मार्ग, राजमार्ग व जनपदीय मार्ग पर स्थित नहीं है।

विक्रेता अनुसूचित जाति व जनजाति के सदस्य नही है। इस विक्रय विलेख के निबन्धन का समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया गया है।

लिहाजा यह विक्रय पत्र विक्रेता ने स्वस्थचित मन से बिना किसी जोर दबाव के क्रेता के पक्ष में लिख दिया ताकि सनद रहे और आवश्यकता पड़ने पर काम आवे।

चौहद्दी खसरा नं0 229

उत्तर : खसरा सं–231
दक्षिण : खसरा सं–237 व ग्राम सीमा हबुआपुर
पूरब: ग्राम सीमा हबुआपुर
पश्चिम : खसरा सं–228

परिशिष्टः भुगतान विवरण

1. विक्रेता को रू0 5,00,000/– द्वारा चेक संख्या–356985 दिनांक 13-08-13 जारीकर्ता बैंक आई0एन0जी0 वैश्य बैंक लि0, लखनऊ क्रेता से प्राप्त हुए।

राजेन्द्र सिंह

विक्रेता

Registration No.: 10231   Year : 2,013   Book No. : 1

0101 राजेन्द्र

बाबादीन

बेलीकला ग्राम बेली पर0तह0मोहन लाल गंज लखनऊ

नौकरी

इस प्रकार विकेता को कुल विकय मूल्य रू0 5,00,000/– (रूपया पांच लाख मात्र) केता से प्राप्त हुए जिसकी प्राप्ति विकेता स्वीकार करता है तथा अब विक्रेता को क्रेता से कुछ भी लेना शेष नहीं है।

लखनऊः
दिनांक :19.07.2013

<u>गवाह</u> :

1. कमलेश सिंह पुत्र उमाशंकर सिंह
   ग्रा० –चाँद सराय, गोसाईगंज
   लखनऊ

विकेता
राजेन्द्र सिंह

केता

2. [illegible]
   [illegible]
   गोसाईगंज
   लखनऊ

टाईपकर्ता

(दीपक उपाध्याय)
सिविल कोर्ट, लखनऊ

मसविदाकर्ता

(विवेक कुमार सिंह)
एडवोकेट

क्रेता

Registration No. : 10231 Year : 2,013 Book No. : 1

0201 पर्ल इन्फ्राइस्टेट प्रा0लि0द्वारा अधि.हस्ता.संजय सिंह
स्व0 इन्द्रदेव सिंह
प्रथमतल साइबर टॉवर विभूति खण्ड गोमती नगर लखनऊ
व्यापार

ग्राम - बेली   परगना मोहनलालगंज   तहसील मोहनलालगंज

खसरा नं० २२९   विक्रीत - रकबा - .0885 हे०

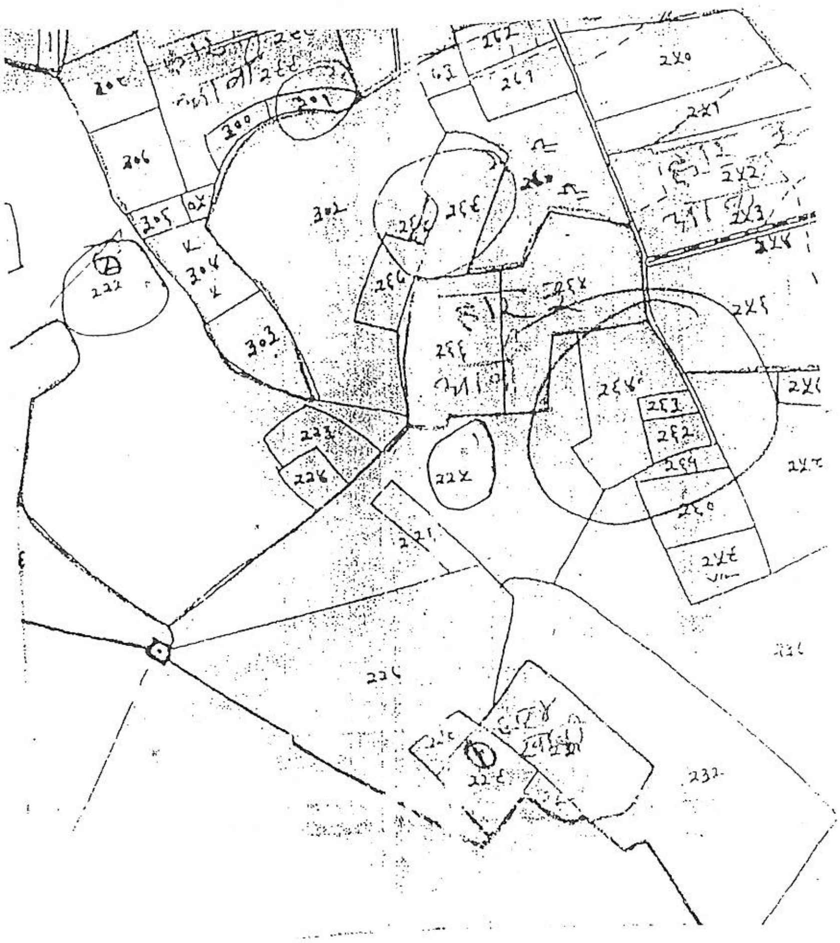

विक्रेता
राजेन्द्र सिंह

क्रेता

1309
1722
28

आज दिनांक **07/08/2013** को

वही सं. **1** जिल्द सं. **3975**

पृष्ठ सं. **1** से **20** पर कमांक **10231**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अर्पिता शर्मा पाण्डेय
उ.नि.मोहनलालगंज
लखनऊ
7/8/2013